



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062022-236863
CG-DL-E-27062022-236863

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2765]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2022/आषाढ़ 6, 1944

No. 2765]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2022/ASHADHA 6, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2022

का.आ. 2905(अ).— भारत सरकार को लोक हित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में बरौनी - गुवाहाटी पाइपलाइन (बीजीपीएल) प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध

कर दी जाती है, इक्कीस दिनों के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इण्डिया) लिमिटेड को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

बरौनी - गुवाहाटी पाइप लाइन परियोजना							
अनुसूची							
राज्य – पश्चिम बंगाल							
जिला	थाना	मौजा	थाना नं	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6		
दार्जिलिंग	फांसीदेउया	पश्चिम बसनगाँव	१०९	3626	00	3	10
				3608	00	4	83
				3627	00	0	48
				3630	00	5	89
				3629	00	1	16
				3631	00	5	08
				3632	00	2	14
				3633	00	7	17
				3642	00	2	45
				3644	00	4	81
				3645	00	2	41
				3582	00	0	64
				3581	00	1	54
				3580	00	2	99
				3583	00	2	04
				3579	00	1	08
				3578	00	2	70
				3571	00	0	13
				3576	00	5	27
				3577	00	2	10
				3572	00	0	80
				3573	00	1	64
				3574	00	6	88
				3575	00	0	43
				3559	00	0	02
				3556	00	2	68

[फा. सं. एल-14014/132 / 2022-जीपी-II) (ई- 43345)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th June, 2022

S.O. 2905(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Barauni – Guwahati Gas Pipeline (BGPL) in the State of West Bengal, a Pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 ,(50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub – section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL (India) Limited.

BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT							
SCHEDULE							
State : West Bengal							
District	Thana	Village	JL No.	Survey No.	Area		
					Hect. - Are - Sq. mtr.		
1	2	3	4	5	6		
Darjeeling	Phansideoya	Paschim Bansgaon	109	3626	00	3	10
				3608	00	4	83
				3627	00	0	48
				3630	00	5	89
				3629	00	1	16
				3631	00	5	08
				3632	00	2	14
				3633	00	7	17
				3642	00	2	45
				3644	00	4	81
				3645	00	2	41
				3582	00	0	64
				3581	00	1	54
				3580	00	2	99
				3583	00	2	04
				3579	00	1	08
				3578	00	2	70
				3571	00	0	13

				3576	00	5	27
				3577	00	2	10
				3572	00	0	80
				3573	00	1	64
				3574	00	6	88
				3575	00	0	43
				3559	00	0	02
				3556	00	2	68

[F. No. L-14014/132/2022-GP - II) (E-43345)]

Rakesh Mishra, Under Secy.